



# 1523

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ़ (राज.)  
(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - छापरी)

ग्रामीण सेवा शिक्षा-2025

धारा अन्तर्गत - 136 प्रसं 1257 दायर दिनांक 11/10/25 निर्णय दिनांक 11/10/25 रिपोर्ट

क्र.म..	नाम- ग्राम	खान	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं राजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		कपासन आदेश
1	माताजी का खेडा		वर्तमान प्रविष्टि चान्दीबाई पति चुन्नीलाल रावत सा. देह बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पाण्डोली	शुद्ध प्रविष्टि चान्दीबाई पति चुन्नीलाल रावत सा. देह राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पाण्डोली	तहसीलीदार कपासन की अनुशंखा स्वीकार की जाकर राज.पू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम माताजी का खेडा प.ह. जीतीया खातासं. 116 में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			हस्ताक्षर गिरदावर हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार		पदेन सहायक कलक्टर कपासन

तहसीलदार(पू.अ.) कपासन

सहायक कलेक्टर  
(छापरखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चितौड़गढ़